आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :झांसी,जनपद :झांसी,तहसील :मऊरानीपुर
वाद संख्या :-05206/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201906370305206
राहुल साहू प्रबन्धक परिवर्तन समाज शिक्षा कल्याण बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय उपजिलाधिकारी,मऊरानीपुर (झांसी)

वाद संख्या–02/2020 धारा–80(2)राजस्व संहिता
मौजा–मढा तहसील व परगना–मऊरानीपुर

श्री परिवर्तन समाज कल्याण समिति गांधीगंज स्टेट बैंक के आगे मऊरानीपुरजिला झासी तहसील मऊरानीपुर रजिस्टीकरण संख्या 5–18/2008–2009 द्वारा प्रबन्धक राहुल साहू पुत्र श्री रामलाल साहू निवासी गांधीगज मऊरानीपुर आदि ।

बनाम सरकार आदि ।

नकल आदेश दि०.२०.२.२०

प्रस्तुत वाद पत्र/आर0 सी0 प्रपत्र–25 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(2) के अंतर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन श्री श्री परिवर्तन समाज कल्याण समिति गांधीगंज स्टेट बैक के आगे मऊरानीपुरजिला झासी व कृषक मौजा–मढा तहसील मऊरानीपुर जिला–झांसी रजिस्टीकरण संख्या 5–18/2008–2009 द्वारा प्रबन्धक राहुल साहू पुत्र श्री रामलाल साहू निवासी गांधीगज मऊरानीपुर के द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी स्थित मौजा मढा के खाता सं0 281 के गाटा सं0 204 रकवा 1.492है0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर खातेदार मालिक व काबिज है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, उक्त भूमि के रकवा में 1.012 है0 उक्त भूमि को गैर कृषिक/व्यवसायिक भूमि घोषित कराना चाहता है, क्योंकि उक्त भूमि पर विधालय बनवाना चाहता है, वादी को अपनी उक्त भूमि को गैर कृषिक भूमि घोषित कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अंत में उक्त भूमि को गैर कृषिकीय/व्यवसायिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया। वाद पत्र के समर्थन में नकल खतौनी/खसरा एवम शपथ पत्र व, जो0च0 आकार पत्र 41,45,मौके की फोटो की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी।

नियमानुसार प्रकरण में तहसीलदार मऊरानीपुर से मौके की जांच आख्या प्राप्त की गई तहसीदार की आख्या के साथ संलग्न लेखपाल ने अपनी आख्या दिनांक 26–10–2019 में उल्लेख किया है कि मौजा मढा के खाता सं0 281 के गाटा सं0 204 रकवा 1.492है0सहखातेदार का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, आवेदक द्वारा निधारित प्रारूप पर आवेदन किया गया है।जोत चकबन्दी आकर पत्र 41,45 की नकल संलग्न की है,सहखातेदार का शपथ पत्र अनापत्ति हेतु दाखिल किया गया है ,प्रस्तावित भूमि विवादित नही है उक्त नम्बर में गैर कृषिक/आबादी उपयोग हेतु घोषित किये जाने हेतु आख्या संलग्नकों सहित प्रेषित की गई। जिस पर तहसीलदार मऊरानीपुर द्वारा संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है, मौका के फोटो ग्राफ भी आख्या के साथ प्रस्तुत किए गये है। प्रकरण में पुनःस्थलीय आख्या प्राप्त की गयी तहसीलदार की स्थलीय आख्या दिनांक–25–1–2020 में उल्लेख किया गया है कि मौके पर बाऊन्डीवाल बन चुकी है शेष निर्माण कार्य चल रहा है। है,भूमि विवादरहित है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी स्थित मौजा मढा तहसील मऊरानीपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है,प्रश्नगत भूमि में गाटा संख्या 204 रकवा 1.492 है0 का विधिक विभाजन हो चुका है,जिसमें वादी का गाटा संख्या 204 रकवा 1.012 है0 है, तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या एवं



Scanned with OKEN Scanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :झांसी,जनपद :झांसी,तहसील :मऊरानीपुर
वाद संख्या :-05206/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201906370305206
राहुल साहू प्रबन्धक परिवर्तन समाज शिक्षा कल्याण बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर बाउन्डीवाल बनी है व विद्यालय भवन निर्माणाधीन है, तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है, राजस्व संहिता 2006 की धारा–80 में दिये गये प्राविधान अनुसार उपनिबंधक मऊरानीपुर से प्राप्त आख्या अनुसार निर्धारित शुल्क मु036510–00रूपया दिनांक 4–10–2019 को राजकीय कोष में जमा किया जा चुका है एवम इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प कमांक 200865, 200864, 200863, 200862, 200861, 200860, 200859, पांच–पांच हजार के सात एक हजार का एक,पाच सौ का एक दश रूपये का एक टिकिट वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये, वादी द्वारा अपने वाद पत्र को उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा–80(2) में दी गई शर्तों को पूर्णतयः सिद्ध किया गया, तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या दिनांक 26–10–2019/25–1.2020 के आधार पर प्रश्नगत भूमि को धारा–80(2) के प्राविधान अनुसार अनुमति दिया जाना विधि संगत है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र वादी अं0 धारा–80 (2) राजस्व संहिता, 2006 (यथा संसोधित 2019) स्वीकार किये जाने योग्य है तद्नुसार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार मऊरानीपुर की आख्या के आधार पर धारा 80 (2) उ0प्र0 राजस्व संहिता (यथासंशोधित 2019) स्वीकार करते हुए अनुमत किया जाता है कि मौजा मढा के खाता सं0 281 के गाटा सं0 204 रकबा 1.012है0 भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जा सकता है, परन्तु यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिबिधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2)के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन घोषण ,भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नही होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप मे ही समझी जायेगी; तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आशिक भाग जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो,पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाए समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा, उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर उपधारा (2) के अधीन घोषणा से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण किया–कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि किया–कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है, पत्रावली वाद अमल दरामद आवश्यक कार्यवाही उपरांत दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–20 फरवरी , 2020

(सतीशचन्द्र)
उपजिलाधिकारी, मऊरानीपुर।

प्रतिलिपि–तहसीलदार मऊरानीपुर को दो प्रतियो में इस आशय से प्रेषित की अमलदरामद उपरान्त एक प्रति इस न्यायालय को तुरन्त वापिस करें।

दिनांक– 20फरवरी 2020

(सतीशचन्द्र)
उपजिलाधिकारी, मऊरानीपुर।



Scanned with OKEN Scanner